रजिस्टर सं० डी०—(डी)—73

REGISTERED NO. D—(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 37] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 12, 1981 (भाद्रपद 21, 1903)

No. 37] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 12, 1981 (BHADRA 21, 1903)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	607
भाग I—खंड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1165
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	5
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1245
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	1837
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	2515
भाग II—खंड 3-(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं)	487
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	317
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	10743
भाग III—खंड 2—पेटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस	481
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं	105
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	2455
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस	177
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु आदि के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	*

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	607
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1165
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Resolutions and non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	5
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1245
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION I-A.—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of the Select Committees on Bills	*
PART II—SECTION 3.—SUB.-SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	1837
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) ..	2515
PART II—SECTION 3(iii).—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in section 3 or section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules and Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	487
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	317
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administrations, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	10743
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	481
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	105
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	2455
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies ..	177
PART V.—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi	*

* Fallo Nos not recevied

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय

कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 20 अगस्त 9181

संकल्प

संख्या ई. 11015/6/79-हिन्दी—भारत सरकार, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कन्ध) ने लोक प्रशासन तथा प्रबन्ध विज्ञान विषयों पर हिन्दी पुस्तकों (मूल अथवा अनूदित) के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना नामक एक योजना लागू करने का निश्चय किया है। इस योजना के उद्देश्य और अन्य विवरण निम्नानुसार हैं:

लोक प्रशासन तथा प्रबन्ध विज्ञान विषयों पर हिन्दी पुस्तकों [मूल अथवा अनूदित] के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना

1. योजना का शीर्षक

यह योजना लोक प्रशासन तथा प्रबन्ध विज्ञान विषयों पर हिन्दी पुस्तकों (मूल अथवा अनूदित) के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार योजना के नाम से जानी जाएगी।

2. उद्देश्य

आधुनिक युग में लोक प्रशासन तथा प्रबन्ध विज्ञान ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है और देश भर के विश्व-विद्यालयों तथा प्रबन्ध अध्ययन के संकायों में स्नातक तथा उच्चतर स्तरों पर उपर्युक्त विषयों में अध्ययन के पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य इन विषयों पर हिन्दी साहित्य के प्रकाशन को प्रोत्साहन देना है। इस योजना में उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में प्रकाशित प्रामाणिक मूल पुस्तकों के लेखकों अथवा उपर्युक्त विषयों पर अन्य भाषाओं की प्रामाणिक पुस्तकों की हिन्दी में अनूदित कृतियों को वार्षिक पुरस्कार देने की व्यवस्था है। इसमें उपर्युक्त विषयों में से विनिर्दिष्ट विषयों पर हिन्दी में मूल पुस्तक लिखवाने अथवा अन्य भाषाओं की विनिर्दिष्ट प्रामाणिक पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने के लिए विशेष अनुबन्ध करने की व्यवस्था भी है।

3. पुरस्कारों की राशि

1. उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी में लिखी गई तीन मूल पुस्तकों के लेखकों को, पैरा 5 में दिए अनुसार गठित की गई मूल्यांकन समिति द्वारा सर्वोत्तम पाई गई पुस्तकों पर उत्कृष्टता के क्रम से भारत सरकार द्वारा तीन वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों की राशि निम्नानुसार होगी:—

1. 10,000/—रुपये का पहला पुरस्कार
2. 7,000/—रुपये का दूसरा पुरस्कार
3. 5,000/—रुपये का तीसरा पुरस्कार

यदि मूल्यांकन समिति द्वारा किसी वर्ष में मूल कृतियों को पर्याप्त उच्च स्तर का नहीं पाया जाता है तो कोई भी अथवा सभी पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे।

2. मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के बाद आरम्भ किए गए उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी से इतर भाषाओं की प्रमाणिक पुस्तकों के हिन्दी अनुवादों के लिए प्रत्येक 3000/- रुपये के दो वार्षिक पुरस्कार दिए जाएंगे बशर्ते कि अनूदित कृति को मूल्यांकन समिति द्वारा पर्याप्त उच्च स्तर का पाया जाए।

3. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग का प्रशासनिक सुधार स्कंध, मूल्यांकन समिति के अनुमोदन से ख्याति-प्राप्त व्यक्तियों को उपर्युक्त विषयों पर पुस्तकें लिखने अथवा उपर्युक्त विषयों पर हिन्दी से इतर भाषाओं की प्रमाणित पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद कराने का कार्य भी सौंप सकता है और उस मामले में ऐसे अनुबन्धों के लिए मूल्यांकन समिति द्वारा यथा-अनुमोदित पारिश्रमिक, जो 10,000/- रुपये से अधिक नहीं होगी, दिया जाएगा।

4. योजना की मुख्य-मुख्य बातें

1. योजना कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कंध) द्वारा लागू की जाएगी। ये पुरस्कार 1981 से आरम्भ होने वाले प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में दिए जाएंगे। इस योजना में कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग में कार्य कर रहे कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी व्यक्ति भाग ले सकेंगे।

2. कैलेण्डर वर्ष के दौरान प्रस्तुत की गई पुस्तकों, पाण्डु-लिपियों और अनूदित कृतियों का मूल्यांकन, इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कंध) द्वारा गठित की गई मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा और मूल्यांकन समिति का निर्णय सभी प्रकार से अन्तिम तथा मान्य होगा और इस सम्बन्ध में कोई भी पुनर्विचार अथवा अपील नहीं की जा सकेगी।

3. मूल्यांकन समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जाने वाली प्रत्येक पुस्तक, मूल कृति के अनुवाद अथवा पांडुलिपि के साथ लेखक/अनुवादक द्वारा पूरी तरह से भरा हुआ तथा हस्ताक्षर किया हुआ प्रवेश-पत्र अनिवार्यतः संलग्न किया जाएगा और विभाग द्वारा निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत किया जाएगा।

4. कोई भी ऐसी पुस्तक, मूल कृति का अनुवाद अथवा पाण्डुलिपि जिसे भारत सरकार, किसी राज्य सरकार अथवा

निजी एजेंसी द्वारा परिचालित किसी अन्य योजना के अधीन कोई पुरस्कार, आर्थिक सहायता अथवा अन्य कोई वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है, योजना के अधीन पुरस्कार के लिए विचार किए जाने की पात्र नहीं होगी।

5. उपर्युक्त दोनों विषयों पर हिन्दी की मौलिक पुस्तकों/पांडुलिपियों के लेखकों के पास उनकी पुस्तकों का कापीराइट रहेगा।

6. किसी भी लेखक को एक कैलेण्डर वर्ष में एक से अधिक पुरस्कार नहीं दिया जाएगा।

7. यदि पुरस्कार के लिए चुनी हुई पुस्तक, पाण्डुलिपि अथवा अनूदित कृति के एक से अधिक लेखक हों तो पुरस्कार की राशि का सह-लेखकों में समान रूप से बांट दिया जाएगा।

8. मूल्यांकन समिति द्वारा पाण्डुलिपि अथवा अनूदित कृति के अनुमोदन के बावजूद भी पुरस्कारों का वास्तविक वितरण पुस्तक, अनूदित कृति के प्रकाशन के बाद ही किया जाएगा।

9. हिन्दी भाषा में मौलिक पुस्तकें लिखवाने/अनुवाद कराने का विशेष कार्य सौंपने के लिए विभाग लेखक के साथ एक करार करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा हो जाएगा। असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर एक बार निर्धारित की गई अवधि को और आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चूक होने पर अथवा कार्य उपयुक्त स्तर का न पाए जाने पर विभाग को यह अधिकार रहेगा कि एकपक्षीय आधार पर करार को रद्द कर दे और इस एकपक्षीय निर्णय के विरुद्ध कोई भी दावा नहीं किया जा सकेगा।

10. विशेष अनुबन्ध के मामले में राशि का भुगतान अधिक से अधिक दो किश्तों में किया जाएगा। प्रत्येक किश्त की राशि और इसका भुगतान कब किया जाए इसका निर्णय मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा।

उपर्युक्त दो विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखवाने के लिए जब किसी लेखक को विशेष कार्य दिया जाए तो पांडुलिपि का मूल्यांकन तथा अनुमोदन करने के बाद मूल्यांकन समिति अपने विवेकानुसार या तो लेखक को पुस्तक प्रकाशित कराने की अनुमति दे सकती है अथवा कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कंध) से उसे प्रकाशित करने के लिए कह सकती है। यदि विशेष कार्य कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कंध) द्वारा प्रकाशित कराया जाता है तो कापीराइट इस विभाग का ही रहेगा और प्रकाशित पुस्तक की कम से कम कितनी प्रतियां इस विभाग द्वारा खरीदी जाएं इस बात का निश्चय मूल्यांकन समिति करेगी।

5. मूल्यांकन समिति

इस योजना के अधीन पुरस्कार देने के उद्देश्य से लोक प्रशासन तथा प्रबन्ध विज्ञान विषयों पर सर्वोत्तम पुस्तकों/पाण्डुलिपियों/अनूदित कृतियों के चुनाव तथा मूल्यांकन के लिए कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग (प्रशासनिक सुधार स्कंध) के अधीन एक मूल्यांकन समिति होगी।

मूल्यांकन समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

1.	अपर सचिव (प्र. सु.),	अध्यक्ष
2.	कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय भारत सरकार	
2.	निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली	सदस्य
3.	संयुक्त सचिव (पी. पी.) कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग, गृह मंत्रालय।	सदस्य
4.	एकीकृत वित्तीय सलाहकार, कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग।	सदस्य
5.	लोक प्रशसन तथा प्रबन्ध विज्ञान के क्षेत्र में और	सदस्य
6.	ख्यातिप्राप्त और हिन्दी भाषा का अच्छा ज्ञान रखने वाले दो गैर-सरकारी व्यक्ति (अपर सचिव, प्रशासनिक सुधार स्कंध, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित किए जाएंगे।	
7.	निदेशक/उप सचिव (प्रशा.), प्रशासनिक सुधार स्कंध, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग।	सदस्य सचिव

2. समिति के गैर-सरकारी सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा। किसी सदस्य के पद त्यागने, सेवानिवृत्त होने अथवा निधन होने या अन्यथा मूल्यांकन समिति का कोई स्थान रिक्त हो जाता है तो वह स्थान अपर सचिव प्रशासनिक सुधार स्कंध, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा नामित किए गए व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा।

3. यदि मूल्यांकन समिति का कोई सदस्य योजना के अधीन पुरस्कार के लिए प्रतियोगी है तो जिस वर्ष में अन्य पुस्तकों के साथ-साथ उसकी पुस्तक का भी मूल्यांकन किया जाना है उस अवधि में उसे मूल्यांकन समिति की बैठकों में शामिल नहीं किया जाएगा।

4. मूल्यांकन समिति के गैर-सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए और उस समय लागू नियमों के अधीन यात्रा-भत्ता/दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे।

6. मूल्यांकन समिति का कार्य-संचालन

1. कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग प्रति वर्ष हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किए जाने के लिए एक सूचना जारी करेगा जिसमें योजना के अधीन पुरस्कार के लिए प्रविष्टियां भेजने का अनुरोध किया जाएगा। इस सूचना में अन्य बातों के साथ-साथ योजना के अधीन प्रविष्टियां भेजने की अन्तिम तारीख भी दी जाएगी।

2. पुस्तकें, पाडुलिपियां और अनूदित कृतियां प्राप्त होने पर उन्हें समिति के प्रत्येक सदस्य में परिचालित कर दिया जाएगा जो कि उनका मूल्यांकन करेगा और अपना मत निर्धारित समय के भीतर लिपिबद्ध करेगा। सभी सदस्यों से मूल्यांकन प्राप्त होने और उनकी सारणी तैयार कर लेने के बाद समिति का अध्यक्ष मूल्यांकन समिति की एक बैठक बुलाएगा जिसमें योजना के अधीन पुरस्कार के लिए सर्वोत्तम कृतियों का चयन करने की दृष्टि से अन्तिम निर्णय लेने के उद्देश्य से समिति का सदस्य सचिव प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए मूल्यांकनों को अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत करेगा। मूल्यांकन समिति द्वारा लिए गए निर्णय सभी दृष्टियों से अन्तिम और मान्य होंगे और उनके सम्बन्ध में किसी भी प्राधिकारी को अपील नहीं की जा सकेगी।

एस. एन. श्रीवास्तव, अवर सचिव

वित्त मंत्रालय

[आर्थिक कार्य विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1981

सं. एफ. 12 (2)-पी. डी./81—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग की दिनांक 22 दिसम्बर, 1980 की अधिसूचना संख्या 12 (7)-पी. डी./80 में, जिसके अंतर्गत भविष्य निधियों, निवर्तन निधियों और उपदान निधियों में निवेश की संशोधित पद्धति निर्धारित की गई थी, निम्नलिखित परन्तुक अन्तस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"बशर्ते कि जब कोई रकमें डाकघर सावधि जमा के परिपक्व होने पर प्राप्त हों तो इस प्रकार की रकमों की 50 प्रतिशत तक की राशि का डाकघर सावधि जमा में पुनः निवेश किया जाए तथा इस प्रकार की रकमों की 50 प्रतिशत तक की राशि केन्द्रीय सरकार की विशेष जमा योजना में जमा की जाए।"

मंगल दास पाल, निदेशक (बजट)

पेट्रोलियम, रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय

[पेट्रोलियम विभाग]

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1981

संकल्प

सं. 17014/10/80-पी. सी. I.—बोगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के उत्पादों पर आधारित डाउन स्ट्रीम उद्योगों की स्थापना पर सिफारिश करने तथा अपनी रिपोर्ट छः महीने के अंतर्गत प्रस्तुत करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन दिनांक 28 अक्तूबर, 1980 के संकल्प द्वारा किया गया था।

2. भारत सरकार ने टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की तिथि को तीन महीने की और अवधि अर्थात् 27 जुलाई, 1981 तक बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।

3. भारत सरकार ने अब टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट की तिथि को 30 सितम्बर, 1981 तक और बढ़ाने का निर्णय ले लिया है।

4. श्री बादल राय के स्थान पर औद्योगिक विकास विभाग के संयुक्त सचिव, श्री एस. एल. कपूर को टास्क फोर्स के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

5. श्री बी. के. जुत्शी के स्थान पर, वस्त्र विभाग के संयुक्त सचिव श्री ए. के. मुखर्जी को टास्क फोर्स के एक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है।

6. टास्क फोर्स के सदस्यों के रूप में निम्नलिखित की नियुक्ति की गई है:—

1. अध्यक्ष, असम औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, गोहाटी।
2. आयुक्त एवं सचिव, उद्योग विभाग, असम सरकार, दीसपुर।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि सभी संबंधितों को भेजी जाये।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

पी.पी. गुप्ता, उप-सचिव

उद्योग मंत्रालय

औद्योगिक विकास विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 29 जुलाई 1981

संकल्प

सं. 07011/1/88-साल्ट—भारत सरकार ने नमक के केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करने का निश्चय किया है। पुनर्गठित केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड (जो इसके बाद बोर्ड कहलाएगा) का गठन निम्नानुसार होगा;

अध्यक्ष:

1. सयुक्त सचिव, उद्योग मंत्रालय, नमक के प्रभारी अधिकारी।

सदस्य:

2. तकनीकी विकास के महानिदेशालय का एक प्रतिनिधि।
3. कन्ट्रोल साल्ट एंड मेरीन केमिकल्स रिसर्च इन्स्टीट्यूट, भावनगर।
4. गुजरात सरकार का एक प्रतिनिधि।
5. आन्ध्र प्रदेश सरकार का एक प्रतिनिधि।
6. महाराष्ट्र सरकार का एक प्रतिनिधि।
7. असम सरकार का एक प्रतिनिधि।
8. जम्मू तथा कश्मीर सरकार का एक प्रतिनिधि।
9. श्री सी.एस.आई.आर. मंकेडो, नमक लाइसेंसधारी तूतीकोरिन।
10. श्री ए. सूर्यनरायण राव "अम्बिका बाग" महारानी पेट, विशाखापट्टनम।
11. श्री एस.के. लाल, प्रबंध निदेशक, ईस्ट कोस्ट साल्ट एंड केमिकल इंडस्ट्रीज लि. भुवनेश्वर।
12. श्री समरेन्द्रा दत्त, बंगाल साल्ट कं, कोंटाय, पश्चिम बंगाल।
13. श्री ए. एच. भिवन्डी-वाला, 583 चीरा बाजार, बम्बई।
14. अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक, हिन्दुस्तान साल्टस लि. "पारिजात भवन" अशोक मार्ग, जयपुर।
15. श्री भारत भाई आर. कामदार "उमी" प्रताप प्लेस के पास, जामनगर।
16. सरकारी कार्य की जानकारी और अनुभव रखने वाला सदस्य (बाद में नामित किया जाएगा)।
17. मुख्य श्रमिक आयुक्त (केन्द्रीय) (श्रमिक समस्याओं का ज्ञान व अनुभव रखने वाला सदस्य)।
18. नमक आयुक्त-(सदस्य सचिव)।

टिप्पणी : जब कभी आवश्यक हो, रेल, जहाजरानी और परिवहन तथा वाणिज्य एवं राज्य व्यापार निगम के प्रतिनिधियों को बोर्ड की बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है।

संसद के सभी सदस्य जो नमक संबंधी क्षेत्रीय परामर्शदायी बोर्ड के सदस्य हैं, बोर्ड की बैठकों में भाग ले सकते हैं।

3. केन्द्रीय परामर्शदायी बोर्ड का कार्य भारत सरकार को नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 3 के अंतर्गत नमक उपकर वसूली करने के प्रशासन पर परामर्श देना तथा नमक उद्योग के विकास के लिए सामान्य उपायों की सिफारिश करना होगा, जैसे :—

1. अनुसंधान केन्द्र, आदर्श फार्म तथा नमक कारखाने की स्थापना तथा रख-रखाव।

2. नमक के ग्रेड निर्धारित करना एवं इसकी किस्म में सुधार करना।

3. निर्यात का विकास करना।

4. नमक उत्पादकों में सहकारी प्रयत्नों को बढ़ावा देना और प्रोत्साहन देना।

5. नमक उद्योग का विकास करने से संबंधित अन्य मामले।

6. नमक उद्योग में नियुक्त श्रमिकों के कल्याण कार्य को बढ़ावा देना।

4. (क) बोर्ड की अवधि इसके गठन होने की तिथि से 3 वर्ष होगी।

(ख) यदि किसी गैर-सरकारी सदस्य का स्थान रिक्त हो जाता है तो केन्द्रीय सरकार बोर्ड की शेष अवधि के लिए रिक्त स्थान भरने हेतु नया नामांकन करेगी।

5. (क) यदि कोई नामांकित सदस्य बैठक में भाग लेने की स्थिति में नहीं है तो वह बोर्ड के अध्यक्ष को लिखित में तथ्य से अवगत कराएगा।

(ख) बोर्ड की बैठक के लिए सदस्यों की संख्या कम से कम तीन होगी।

(ग) बोर्ड की बैठक अथवा बोर्ड द्वारा विधिवत् रूप से गठित की गई उप समिति में भाग ले रहा प्रत्येक और गैर सरकारी सदस्य नियमों के अंतर्गत ग्राह्य अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर स्वीकृत यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का पात्र होगा।

(घ) नमक आयुक्त, जयपुर गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता व दैनिक भत्तों के बिलों पर प्रति हस्ताक्षर करने के नियंत्रक अधिकारी होंगे।

(ङ) गैर-सरकारी सदस्य बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(च) यदि गैर-सरकारी सदस्य भारत छोड़ता है तो वह भारत छोड़ने से पूर्व बोर्ड के अध्यक्ष को अपने प्रस्थान की तारीख और भारत को वापिस आने की संभावित तारीख के संबंध में सूचित करेगा, और यदि उसका 6 महीने से अधिक अवधि के लिये भारत से अनुपस्थित रहने का इरादा हो तो वह अपना त्यागपत्र देगा। यदि कोई सदस्य उपर्युक्त का पालन किये बिना भारत से बाहर जाता है तो यह समझा जायेगा कि उसके भारत से प्रस्थान की तारीख से त्यागपत्र दे दिया है।

(छ) संबंधित अध्यक्ष, सदस्य ने अपना पद रिक्त कर दिया है, यह घोषित करेगा :—

1. यदि वह दिवालिया हो जाता है, या

2. यदि वह किसी अपराध के लिये दंडित किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार के विचार में आचरण भ्रष्टता का काम है, या

3. यदि वह बोर्ड के अध्यक्ष से अनुपस्थित की छुट्टी लिये बिना बोर्ड की लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहता है, या

4. यदि, केन्द्रीय सरकार की राय में, उसका बोर्ड का सदस्य बना रहना अवांछनीय है।

(ज) बोर्ड के सचिव, बोर्ड के अध्यक्ष की स्वीकृति से नमक के लिये क्षेत्रीय सलाहकार बोर्ड के एक या एक से अधिक गैर-सरकारी सदस्यों को या अन्य व्यक्तियों को बोर्ड की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर सकते हैं, और ऐसा सदस्य या व्यक्ति धारा (छ) के अधीन उल्लिखित यात्रा भत्ता आदि का हकदार होगा।

(झ) अध्यक्ष द्वारा निर्धारित स्थान और समय पर बोर्ड की बैठक होगी।

(ञ) भारत में उपस्थित प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक साधारण बैठक के लिये बैठक होने से कम से कम 15 दिन पहले समय और स्थान के बारे में सूचना दी जायेगी और प्रत्येक सदस्य को उस बैठक में निबटाये जाने वाले कार्य की सूची दी जायेगी।

विहित है कि अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई आपात बैठक में इस प्रकार की सूचना आवश्यक नहीं होगी।

(ट) किसी भी कार्य पर, जो कार्य सूची में नहीं है, बिना संबंधित बोर्ड के अध्यक्ष की पूर्वानुमति से विचार नहीं किया जायेगा।

(ठ) अध्यक्ष जिस बोर्ड की बैठक में उपस्थित है, उसकी अध्यक्षता करेगा। यदि अध्यक्ष किसी बैठक में अनुपस्थित है तो उपस्थित सदस्य अपने में से किसी एक को सभा की अध्यक्षता करने के लिये चुनेंगे और इस सभा में ऐसा चुना हुआ सदस्य अध्यक्ष की सभी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(ड) बोर्ड की बैठक में प्रत्येक प्रश्न पर निर्णय उपस्थित और उस प्रश्न पर मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जायेगा, मतों के बराबर होने पर अध्यक्ष एक अतिरिक्त मत देगा।

(ढ) बोर्ड की प्रत्येक बैठक की कार्यवाही भारत में उपस्थित सभी सदस्यों को परिचालित की जायेगी और तत्पश्चात कार्यवृत्त पुस्तक में लिखा जायेगा, जो स्थायी अभिलेख के लिए रखी जायेगी। प्रत्येक बैठक की कार्यवाही के अभिलेख पर बोर्ड के अध्यक्ष के हस्ताक्षर होंगे।

(ण) किसी क्षेत्र में उपकर से व्यय किये जाने वाले व्यय प्रस्तावों पर पहले क्षेत्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा। इसके लिये प्रस्ताव का ब्यौरा सहित प्रारम्भिक आंकलन और अन्य आवश्यक आंकड़ों सहित इसकी अनुमानित लागत क्षेत्र अधिकारियों द्वारा तैयार की जायेगी। क्षेत्रीय बोर्ड की सिफारिश सहित प्रस्तावों पर तब केन्द्रीय बोर्ड द्वारा विचार किया जायेगा।

एक लाख रुपये तक का प्रत्येक विकासात्मक कार्य और श्रमिक कल्याण कार्य केन्द्रीय बोर्ड की अंतिम सिफारिशों के लिये भेजे बिना ही क्षेत्रीय बोर्डों द्वारा स्वीकार किया जा सकेगा।

(त) केन्द्रीय बोर्ड की सिफारिशें स्वीकृति के लिये केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएंगी, उसके बाद विस्तृत अनुमान तैयार किये जायेंगे। अनुमान सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत होंगे।

(थ) बोर्ड के कार्य या कार्यवाही को किसी रिक्त के होने पर या बोर्ड के गठन में त्रुटि को आधार बना कर जैसी भी स्थिति हो चुनौती नहीं दी जायेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय और प्रधान मंत्री सचिवालय को भेज दिया जाये।

2. यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र के भाग I, खंड 1 में प्रकाशित किया जाये।

आर. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

नागरिक पूर्ति मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त 1981

संकल्प

सं. ई-11011/23/80-हिन्दी—भारत सरकार ने नागरिक पूर्ति मंत्रालय के लिए एक हिन्दी सलाहकार समिति बनाने का निर्णय किया है। समिति का गठन, कार्य आदि निम्नलिखित होंगे:—

अध्यक्ष

1. कृषि, ग्रामीण पुनर्निर्माण, सिंचाई तथा नागरिक पूर्ति मंत्री

उपाध्यक्ष

2. नागरिक पूर्ति उप मंत्री

लोक सभा सदस्य

सदस्य

3. संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किये जाने हैं।
4. ,,

राज्य सभा सदस्य

5. संसदीय कार्य विभाग द्वारा नामित किये जाने हैं।
6. ,,

संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

7. श्री ओम मेहता, संसद सदस्य (राज्य सभा)
8. श्री गुरुदेव गुप्त, संसद सदस्य (राज्य सभा)

स्वैच्छिक संस्थाओं आदि के प्रतिनिधि

9. श्री रघुवीर शास्त्री,
द्वारा श्री सोमपाल,
ए-2/285, जनकपुरी, नई दिल्ली-110058।
10. नीमित किया जाता है।
11. श्री सुशील चन्द्र वर्मा,
अध्यक्ष,
केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद, नई दिल्ली।
12. श्रीमती मृदुला गर्ग,
सी-1/9, सफदरजंग डेवेलपमेंट एरिया,
नई दिल्ली-110016।
13. श्रीमती इन्दुजा अवस्थी,
प्रोफेसर-एवं-अध्यक्ष,
हिन्दी विभाग, मिरांडा हाउस,
दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली
14. श्री हिमांशु जोशी,
पत्रकार,
हिन्दुस्तान साप्ताहिक, नई दिल्ली।

अधिकारी

15. सचिव
नागरिक पूर्ति मंत्रालय
16. सचिव
राजभाषा विभाग तथा भारत सरकार के
हिन्दी सलाहकार
17. संयुक्त सचिव (हिन्दी के प्रभारी),
नागरिक पूर्ति मंत्रालय
18. संयुक्त सचिव (बाट तथा माप के प्रभारी)
नागरिक पूर्ति मंत्रालय
19. संयुक्त सचिव,
राजभाषा विभाग
20. महानिदेशक,
भारतीय मानक संस्था, नई दिल्ली।
21. महाप्रबन्धक,
सुपर बाजार, नई दिल्ली।
22. मुख्य निदेशक,
वनस्पति, वनस्पति तेल तथा वसा निदेशालय,
नई दिल्ली।
23. प्रबन्ध निदेशक,
राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ,
नई दिल्ली
24. अध्यक्ष,
वायदा बाजार आयोग,
बम्बई

2. **समिति के कार्य**

इस समिति के कार्य नागरिक पूर्ति मंत्रालय तथा उसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों आदि को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित विषयों तथा गृह मंत्रालय द्वारा निर्धारित नीति सम्बन्धी ढांचे के अन्तर्गत आने वाले मामलों पर सलाह देना होगा।

3. **कार्यकाल**

समिति का कार्यकाल उसके गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन तीन वर्ष होगा:—

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य भी नहीं रहेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य उस समय तक सदस्य बने रहेंगे जब तक कि वे अपने उन पदों पर हैं जिनके कारण वे समिति के सदस्य हैं।

(ग) यदि किसी सदस्य के त्यागपत्र देने, मृत्यु आदि के कारण समिति में कोई स्थान रिक्त होता है तो उसके स्थान पर नियुक्त किया गया सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सदस्य रहेगा।

4. **सामान्य**

(1) समिति आवश्यक समझे जाने पर अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकती है और अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए विशेषज्ञों को आमंत्रित कर सकती है अथवा उप-समितियां नियुक्त कर सकती है।

(2) समिति का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. **यात्रा भत्ता तथा अन्य भत्ते**

गैर सरकारी सदस्यों को समिति तथा उप समितियों की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए सरकार द्वारा निश्चित दरों पर यात्रा भत्ता तथा दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधानमंत्री सचिवालय, मंत्रि-मण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, वाणिज्य, निर्माण तथा विविध और भारत के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया गया कि इस संकल्प को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए।

ए. आर. बंद्योपाध्याय, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 12 अगस्त 1981

सं. 1/11/80-सीटीई—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए सूचित किया जाता है कि संस्था पंजीकरण अधिनियम (1860 के 21वें) के कार्य के लिए वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् की शासी सभा 10 अगस्त, 1981 से दो वर्ष की अवधि के लिए पुनर्गठित की गई है और इसमें निम्नलिखित व्यक्ति रखे गये हैं:—

अध्यक्ष (पदेन)

1. महानिदेशक,
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान,
नई दिल्ली-1

सदस्य-वित्त

2. वित्त मंत्रालय,
भारत सरकार द्वारा मनोनीत

सदस्य

3. प्रो. एम. जी. के. मैनन,
सचिव, भारत सरकार,
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग,
टैक्नालोजी भवन, नई महरौली रोड,
नई दिल्ली-110029

4. डा. ए. एस. गंगुली,
अध्यक्ष,
हिन्दुस्तान, लीवर लि.,
165-166, बैकबे रिक्लेमेशन
बम्बई-400020

5. प्रो. रईस अहमद,
प्रोफेसर, भौतिकी,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ (उ.प्र.)

6. निम्नलिखित समन्वय परिषदों के अध्यक्ष :—

सदस्य

(क) (रसायन विज्ञान)
डा. जी. थ्यागराजन,
निदेशक,
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
हैदराबाद (30-9-82 तक)

(ख) (भौतिकीय एवं भू-विज्ञान)
डा. अमरजीत सिंह,
निदेशक,
केन्द्रीय इलेक्ट्रानिकी इंजीनियरी
अनुसंधान संस्थान,
पिलानी (राजस्थान) (14-5-1983 तक)

(ग) (इंजीनियरी विज्ञान)
प्रो. वी. ए. आल्टेकर
निदेशक,
राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला,
जमशेदपुर-831007 (31-7-1982 तक)

(घ) (जीवविज्ञान)
डा. सी. के. अटल,
निदेशक,
क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला,
कैनाल रोड,
जम्मू तवी (17-1-1983 तक)

जी. एस. सिद्धू, सचिव
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग
वै.औ.अ. प. संबंधी मामलों हेतु, तथा महा निदेशक,

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 अगस्त 1981

संकल्प

सं. 26012-2/81-एफ.वाई. (टी. 1)—इस मंत्रालय के दिनांक 24 जुलाई, 1978 के समसंख्यक संकल्प में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए मद 3 "क्रमावर्तन द्वारा 3 अन्तर्देशीय राज्यों के मात्स्यिकी के प्रभारी मंत्रियों" के स्थान पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, जम्मू व कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, त्रिपुरा तथा असम के मात्स्यिकी के प्रभारी मंत्रियों को शामिल करने का निर्णय लिया गया है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों और सभी सदस्यों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि जन साधारण की सूचना के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

एम. ए. के. तैयब, संयुक्त सचिव

शिक्षा तथा संस्कृति मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 7 अगस्त 1981

सं. एफ-1-6/78-एस.पी.-1 (डी.-1)—संकल्प संख्या एफ 1-6/78-एस.पी.-1 (डी.-1) दिनांक 9 जून, 1978 द्वारा गठित अखिल भारतीय खेल परिषद का कार्यकाल 20 जुलाई, 1981 को समाप्त हो गया। सरकार ने वर्तमान अखिल भारतीय खेल परिषद को 21-7-1981 से तीन माह की अवधि के लिये अथवा नई परिषद के पुनर्गठित होने तक जो भी पहले हो, इसकी अवधि बढ़ाने का निर्णय किया है।

शंकर लाल, उप सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 14 अगस्त 1981

संकल्प

सं. ई. 11015/1/80-हिन्दी—सूचना और प्रसारण मंत्रालय के 26 सितम्बर, 1978 के संकल्प संख्या ई. 11011/25/73-प्रशासन-1/हिन्दी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार और प्रसारण मंत्रालय की सूचना और प्रसारण हिन्दी समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है।

2. इस समिति के निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

अध्यक्ष

1. सूचना और प्रसारण मंत्री

उपाध्यक्ष

2. सूचना और प्रसारण उप मंत्री

संसद सदस्य

सदस्य

3. श्री वाई. एस. महाजन (लोक सभा)

4. श्री धर्मवास शास्त्री (लोक सभा)

5. श्री नरेन्द्र सिंह (राज्य सभा)

6. श्री आर. सी. भारद्वाज (राज्य सभा)

संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य

7. श्री कृष्णचन्द्र पाण्डे, सदस्य, लोक सभा

8. डा. लोकेश चन्द्र, सदस्य, राज्य सभा

गैर-सरकारी व्यक्ति

9. डा. एम. मलिक मोहम्मद,
प्रो. तथा विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग,
कालीकट विश्वविद्यालय।

10. श्री मोहन कुमार भगत,
प्रधान सम्पादक,
"गरिमा गरिमा", नागपुर।

11. श्री जगन्नाथ मिश्र,
भूतपूर्व संसद सदस्य, बिहार।

12. डा. रामजी सिंह,
भूतपूर्व संसद सदस्य,
भौखनपुर,
पो. भागलपुर।

13. डा. आर. एस. पाण्डे,
भूतपूर्व संसद सदस्य, बम्बई

14. श्री विष्णुदत्त रामदुलार मिश्र,
प्रधानाध्यापक,
विद्यावती दरवेड़िया हाईस्कूल,
नागपुर।

15. श्री गिरिजा कुमार माथुर,
सेवा निवृत्त उप महानिदेशक,
दूरदर्शन।

16. श्री कन्हैया लाल नन्दन,
सम्पादक, "भारिका",
नई दिल्ली।

17. श्री शंकर राव लोंढे,
मंत्री,
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा

18. प्रो. जी. सुन्दर रेड्डी,
अनुसंधान निदेशक एवं एमरीटस प्रोफेसर,
हिन्दी विभाग, आन्ध्र विश्वविद्यालय।

19. डा. एन. एस. दक्षिणमूर्ति,
हिन्दी के रीडर,
स्नातकोत्तर हिन्दी अध्ययन तथा
अनुसंधान विभाग,
मैसूर विश्वविद्यालय।

20. श्री राम प्रकाश गुप्त,
एडवोकेट, दिल्ली।

21. पं. करुणापति त्रिपाठी,
भूतपूर्व कुलपति,
सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय,
वाराणसी।

22. डा. नगेन्द्र,
कृतकार्य आचार्य, हिन्दी विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय।

23. श्री अमृत लाल नागर,
लेखक, लखनऊ।

24. श्रीमती मंजुल भगत,
लेखिका, नई दिल्ली।

अधिकारी गण

25. सचिव, राजभाषा विभाग एवं
भारत सरकार के हिन्दी सलाहकार

26. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय

27. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग

28. आकाशवाणी महानिदेशक

29. दूरदर्शन महानिदेशक

30. समाचार सेवा निदेशक, आकाशवाणी

31. प्रधान सूचना अधिकारी, पत्र सूचना कार्यालय

32. अध्यक्ष, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग सूचना और प्रसारण

सदस्य सचिव

33. मंत्रालय में हिन्दी के कार्य से संबंधित संयुक्त सचिव

3. **समिति का कार्य :**

समिति का कार्य केन्द्रीय हिन्दी समिति और राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा सरकारी कामकाज के लिए हिन्दी के प्रयोग के सम्बन्ध में निर्धारित नीतियों के अनुसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा इसके माध्यम एककों के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के बारे में सलाह देना होगा।

4. **कार्यकाल :**

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया समिति के गठन की तारीख से तीन वर्ष होगा, बशर्ते कि :

(1) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे;

(2) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे; और

(3) यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्यागपत्र दे देने के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

5. **सामान्य:**

(1) समिति अपने कार्य में सहायता के लिए आवश्यकतानुसार उप समितियां नियुक्त कर सकेगी, अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित कर सकेगी और अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकेगी।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकेगी।

(3) समिति के गैर सरकारी सदस्यों को समिति की अथवा इसकी उप समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय समय पर निश्चित दरों पर नियमानुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जायेगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी राज्य सरकारों और संघ प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, महालेखाकार, केन्द्रीय राजस्व और लेखा महानियंत्रक को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की सर्वसाधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

शरद उपासनी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi-110001, the 20th August 1981

RESOLUTION

No. E-11015/6/79-Hindi.—The Government of India in the Ministry of Home Affairs, Department of Personnel & Administative Reforms (Administrative Reforms Wing) have decided to introduce a Scheme known as Sardar Vallabh Bhai Patel Award Scheme for books (original or translated) in Hindi Language in the fields of Public Administration and Management Sciences. The obectives and other details of the Scheme are as under :—

SARDAR VALLABH BHAI PATEL AWARD SCHEME FOR BOOKS (ORIGINAL OR TRANSLATED) IN HINDI IN THE FIELDS OF PUBLIC ADMINISTRATION AND MANAGEMENT SCIENCES

I. *Title of the Scheme*

This scheme will be known as Sardar Vallabh Bhai Patel Award Scheme for books (original or translated) in Hindi in the fields of Public Administration and Management Sciences.

II. *Objectives*

In modern times the study of Public Administration and Management Sciences has gained importance and courses of studies at graduate and higher levels in the said fields are being conducted in different universities and facilities of management studies all over the country. The main object of the scheme is to encourage the production of literature in Hindi language in these fields. The scheme envisages giving of annual awards to writers of standard original books in the said fields brought out in Hindi or translations of standards books in the said fields from other languages into Hindi. It also envisages giving of special assignments for getting orlginal books written on specified topics in the said fields or getting specified standard works in other languages translated into Hindi.

III. *Amounts of Awards*

(1) Three annual awards will be given by the Government of India to the writers of three original books written in Hindi in the said fields and adjudged best in order of merit by an Evaluation Committee to be constituted as mentioned in paragraph V. The amounts of the awards will be as follows :—

(i) First Award of Rs. 10,000/-

(ii) Second Award of Rs. 7,000/-

(iii) Third Award of Rs. 5,000/-

If in any year original works are not found by the Evaluation Committee to be of a sufficiently high order any or all of the awards may not be given.

(2) Two annual prizes of Rs. 3,000/- each may be given for translations into Hindi of standard books in the aforesaid fields in languages other than Hindi undertaken after approval by the Evaluation Committee subject to the translation being adjudged as of sufficiently high standard by the Evaluation Committee.

(3) The Administrative Reforms Wing of the Department of Personnel & Administrative Reforms may also entrust with the approval of the Evaluation Committee, the writing of books in the said fields or translation into Hindi of standard works in the said fields in languages other than Hindi to persons of eminence and in that case remuneration not exceeding Rs. 10,000/- as approved by the Evaluation Committee may be paid for such assignments.

IV. *Salient features of the Scheme*

(1) The Scheme will be administered by the Department of Personnel and Administrative Reforms (Administrative Reforms Wing). The awards will be made for each calendar year beginning with 1981. The Scheme will be open to all persons except those employed in the Department of Personnel & Administrative Reforms.

(2) The books manuscripts and translations submitted during a calendar year will be assessed by the Evaluation Committee set up by the Department of Personnel and Administrative Reforms (Administrative Reforms Wing) for the purpose of awards under this Scheme and the decision of the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no review or appeal thereof will lie.

(3) Each book, translation of an original work or manuscript submitted for consideration by the Evaluation Committee shall invariably be accompained by the prescribed entry form duly filled in and signed by the author/translator and be submitted by the date prescribed by the Department.

(4) Any book, translation of an original work or manuscript which has received any award, subsidy or any other financial assistance under any other scheme operated by the Government of India, any State Government or private body would not be eligible for consideration of an award under this Scheme.

(5) The authors of original books/manuscripts in Hindi in the two aforesaid fields would be entitled to copyright of their books.

(6) No author will be awarded more than one award and/or prize for one calendar year.

(7) In case the book, manuscript or translation selected for award or prize has more than one author, the award or prize amount will be distributed equally among the co-authors.

(8) Notwithstanding the approval of the manuscript or translation by the Evaluation Committee, the award or prize amounts will be actually disbursed only after the publication of book or translation.

(9) For giving special assignments for getting original books written/translated in Hindi language the Department will enter into a contract with the authors for the said purpose so as to ensure that the work is completed within the agreed time schedule. The time limit once prescribed shall not be extended barring in exceptional circumstances. In case of default or the work being found not of adequate standard, the Department shall have the right to revoke the contract unilateraly and no claim against such revocation shall lie.

(10) In case of special assignments the amount of remuneration shall be disbursed in not more than two instalments, the amount of each instalment and the stage at which it would be disbursed, being determined by the Evaluation Committee.

Where special assignment is given to an author for getting original books written in Hindi in the two fields, the Evaluation Committee may at its discretion either allow the author to have the book published or may ask the Deptt. of Personnel & Administrative Reforms (Administrative Reforms Wing) to have it published, after it has duly assessed and approved the manuscript. In case the assignment is required to be published by the Department of Personnel and Administrative Reforms (Administrative Reforms Wing) the copyright will be with that Department and the minimum number of copies of the published books to be purchased by the Department will be determined by the Evaluation Committee.

V. *The Evalution Committee*

(1) There shall be an Evaluation Committee under the Department of Personnel and Administrative Reforms (Administrative Reforms Wing) to select and evaluate the books/manuscripts/translations by it in the field of Public Aministration and Management Sciences for granting awards under this Scheme.

The Evaluation Committee shall consist of the following :—

(i) Additional Secretary (AR), Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs, Government of India.	Chairman
(ii) Director, Indian Institute of Public Administration, New Delhi.	Member
(iii) Joint Secretary (PP), Department of Personnel and Administrative Reforms, Ministry of Home Affairs.	Member
(iv) Integrated Financial Adviser, Department of Personnel and Administrative Reforms.	Member
(v & vi) Two non/official persons of eminence of the fields of Public Administration and Management Sciences and having good command of Hindi language. (To be nominated by the Additional Secretary, Administrative Reforms Wing, Department of Personnel & Administrative Reforms.	Member
(vii) Director/Deputy Secretary (Admn), Administrative Reforms Wing, Department of Personnel and Administrative Reforms.	Member-Secretary

(2) The tenure of the non-official members of the Committee shall be for a period of 3 years. In case of any vacancy arising on the Evaluation Committee due to resignation, retirement or death of any member or otherwise it shall be filled in by a person nominated by the Additional Secretary, Administrative Reforms Wing, Department of Personnel and Administrative Reforms.

(3) In case a member of the Evaluation Committee happens to be a contestant for award under the Scheme he will not be associated with the meetings of the Committee of that year in which his book is to be assessed alongwith others.

(4) The non-official members of the Evaluation Committee will be entitled to travelling allowance/daily allowance as admissible under the rules in force issued by the Ministry of Finance.

VI. *Functioning of the Evaluation Committee*

(1) Each year the Department of Personnel and Administrative Reforms will issue a notice to be published in leading newspapers, both Hindi and English, asking for submission of entries for the awards under the Scheme. The notice shall *inter alia* indicate the last date for submission of the entries under the Scheme.

(2) On receipt of the books, manuscripts and translations, these will be circulated to each member of the Committee who will evaluate the same and record his assessment within a stipulated period. When the assessments of all the members have been received and tabulated, the Chairman of the Committee will convene a meeting of the Evaluation Committee in which the Member Secretary of the Committee shall submit to the Chairman the evaluations made by each member for taking a final decision for selecting the best entries for award under the Scheme. he decisions taken by the Evaluation Committee shall be final and binding in all respects and no appeal thereof will lie to any authority.

S. N. SRIVASTAVA, Under Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 19th August 1981

No. F.12(2)-PD/81.—In the Notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs No. 12(7)-PD/80, dated the 22nd December, 1980 prescribing the revised pattern of investment for Provident Funds, Superannuation Funds and Gratuity Funds, the following proviso shall be inserted thereunder, namely :—

"Provided that where any moneys are received on the maturity of Post Office Time Deposits, an amount not exceeding 50% of such moneys may be reinvested in

Post Office Time Deposits and an amount not exceeding 50% of such moneys may be deposited in Central Government Special Deposit Scheme".

M. D. PAL, Director (Budget)

MINISTRY OF PETROLEUM

CHEMICALS & FERTILIZERS

DEPARTMENT OF PETROLEUM

New Delhi, the 12th August 1981

RESOLUTION

No. 17014/10/80-PCII.—A Task Force was constituted vide Resolution No. 43011/27/78-PCII dated the 28th October, 1980 to make recommendations on the establishment of down stream industries based on the products from Bongaigaon Refinery and Petrochemicals Ltd. and submit its report within six months.

2. The Government of India decided to extend the date of submission of the report by the Task Force by another three months up to the 27th July, 1981.

3. The Government of India have now decided to extend further the date of submission of the report by the Task Force up to the 30th September, 1981.

4. Shri S. L. Kapur, Joint Secretary, Department of Industrial Development has been included as a Member of the Task Force in place of Shri Badal Roy.

5. Shri A. K. Mukherji, Joint Secretary, Department of Textiles has been included as a Member of the Task Force in place of Shri B. K. Zutshi.

6. The following have also been appointed as Members of the Task Force :—

(i) Chairman, Assam Industrial Development Corporation Limited, Gauhati.

(ii) Commissioner and Secretary, Industries Department, Government of Assam, Dispur.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

P. P. GUPTA, Dy. Secy.

MINISTRY OF INDUSTRY

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT

New Delhi, the 29th July 1981

RESOLUTION

No. 07011/1/80-Salt.—The Government of India have decided to reconstitute the Central Advisory Board for Salt. The composition of the reconstituted Central Advisory Board, (hereinafter called "the Board") will be as follows :—

Chairman

1. Joint Secretary, Ministry of Industry, in-charge of 'Salt'.

Members

2. A representative of the Directorate General of Technical Development.

3. A representative of the Central Salt and Marine Chemicals Research Institute, Bhavnagar.

4. A representative of the Government of Gujarat

5. A representative of the Government of Andhra Pradesh.

6. A representative of the Government of Maharashtra.

7. A representative of the Government of Assam.

8. A representative of the Government of Jammu & Kashmir.

9. Shri C.S.I.R. Machado. Salt Licensee, Tuticorin.

10. Shri A. Suryanarayana Rao, "Ambica Bagh" Maharanipet, Visakhapatnam.

11. Shri S. K. Lal, Managing Director, East Coast Salt & Chemicals Industries Ltd. Bhubaneshwar.

12. Shri Samarendra Dutt, Bengal Salt Company, Contai, West Bengal.

13. Shri A.H. Bhiwandi-Wala, 583. Chira Bazar, Bombay.

14. The Chairman-Cum-Managing Director, Hindustan Salts Limited. "Parijat Bhavan" Ashoka Marg, Jaipur.

15. Shri Bharat Bhai R. Kamdar, "Urmi", Near Partap Place, Jamnagar.

16. Member having knowledge and experience of public affairs (to be nominated later).

17. Chief Labour Commissioner (Central)—(Member having knowledge and experience of labour problems).

18. Salt Commissioner—(Member Secretary).

NOTE—Representatives of the Ministries of Railways, Shipping and Transport and Commerce and State Trading Corporation may be invited to attend the meeting of the Board whenever necessary.

All members of Parliament who are the members of the Regional Advisory Boards for Salt may attend the meetings of the Board.

3. The functions of the Central Advisory Board will be to advise the Government of India on the administration of the proceeds of the Salt Cess levied under Section 3 of the Salt Cess Act, 1953, and to make recommendations generally for measures conducive to the development of the salt industry, e.g.

(i) Establishment and maintenance of research stations, model farms and salt factories;

(ii) fixing the grades of salt and improving its quality;

(iii) development of exports;

(iv) promoting and encouraging co-operative efforts among the manufacturers of salt;

(v) any other matter pertaining to the development of salt industry;

(vi) promoting the welfare of labour employed in the salt industry;

4. (a) The Board will have a term of 3 years from the date of its constitution.

(b) If the seat of non-official member falls vacant, the Central Government shall make fresh nomination to fill up the vacancy for the unexpired portion of the term of the Board.

5. (a) If a nominated member is not in a position to attend the meeting, he will intimate the fact in writing to the Chairman of the Board.

(b) The quorum for a meeting of the Board shall be three.

(c) Every non-official member attending the meeting of the Board or of a sub-committee salt constituted by the Board shall be entitled to travelling allowance and daily allowance as admissible under the rules or as approved by Central Government from time to time.

(d) The Salt Commissioner, Jaipur will be the controlling officer of the purpose of countersigning of the travelling and daily allowance bills of the non-official members.

(e) A non-official member may resign his office by a letter addressed to the Chairman of the Board.

(f) If a non-official member leaves India, he shall intimate to the Chairman of the Board, before leaving India, the date of his departure from and the date of his expected return to India, and, if he intends to be absent from India for a period longer than six months, he shall tender his resignation. If any such member leaves India without complying with the above, he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his departure from India.

(g) A member shall be declared by the Chairman of the Board to have vacated his office :—

(i) if he becomes insolvent, or

(ii) if he is convicted of any offence, which, in the opinion of the Central Government, involves moral turpitude, or

(iii) If he is absent from three consecutive meetings of the Board without leave of absence from its Chairman, or

(iv) if, in the opinion of the Central Government it is undesirable that he should continue to be a member of the Board.

(h) The Secretary of the Board, with the approval of the Chairman of the Board, may invite one or more non-official members of the Regional Advisory Boards for Salt or other persons to attend any meeting of the Board, and such members or persons shall be entitled to travelling allowance etc. as indicated under clause (c).

(i) The Board shall meet at such place and time as may be appointed by the Chairman.

(j) A notice shall be given to every member present in India of the time and place fixed for each ordinary meeting at least 15 days before such meeting and each member shall be furnished with a list of business to be disposed of at that meeting.

(k) Provided that when an emergent meeting is called by the Chairman, such notice shall not be necessary.

(l) No business which is not on the list, shall be considered by a meeting without the prior permission of the Chairman of the Board.

(m) The Chairman shall preside over the meeting of the Board at which he is present. If the Chairman is absent from any meeting, the Members shall elect a member as Chairman and the member so elected shall, at that meeting exercise all the powers of the Chairman.

(n) Every question at a meeting of the Board shall be decided by a majority of votes of the members present and voting on that question: In the case of an equal division of votes, the Chairman shall give an additional vote.

(o) The proceedings of each meeting of the Board shall be circulated to all members present in India and thereafter recorded in a Minute Book, which shall be kept for permanent record.

The record of the proceedings of each meeting shall be signed by the Chairman of the Board.

(p) Proposals for expenditure in a Region to be met from the proceeds of the Cess shall be considered first by the Regional Board. For this purpose, preliminary estimates detailing the proposals and its estimated cost together with other necessary data shall be prepared by the Regional officers. The proposals together with the Regional Board's recommendation shall be considered by the Central Board.

Works of development nature and Labour Welfare, costing up to Rs. 1,00,000/- each, may be approved for execution by the Regional Boards themselves without referring them to the Central Advisory Board for their final recommendations.

(q) The recommendations of the Central Advisory Board shall be submitted to the Central Government for acceptance after which detailed estimates shall be prepared. The estimates shall be sanctioned by competent authority.

(r) No act or proceeding of the Board shall be called in question on the ground merely of the existence of any vacancy in or defect in the constitution of the Board.

ORDER

ORDERED that this Resolution be communicated to all State Governments, All Ministries of the Government of India, Planning Commissioner, Cabinet Secretariat and Prime Minister's Secretariat.

2. ORDER also that the Resolution be published in the Gazette of India, Part I, Section 1.

R. SRINIVASAN, Jt. Secy.

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES

New Delhi, the 3rd August 1981

RESOLUTION

No. 11011/23/80-Hindi.—The Government of India have decided to constitute a Hindi Salahkar Samiti for the Ministry of Civil Supplies. The composition, functions, etc. of the Samiti will be as follows :—

Chairman

1. Minister of Agriculture, Rural Reconstruction, Irrigation and Civil Supplies

Vice-Chairman

2. Deputy Minister—Civil Supplies

Members of Lok Sabha

Member

3. To be nominated by the Deptt. of Parliamentary Affairs
4.

Member of Rajya Sabha

Member

5. To be nominated by the Deptt. of
6. Parliamentary Affairs

Representatives of the Committee of Parliament on Official Language

Members

7. Shri Om Mehta, M.P. (Rajya Sabha)

8. Shri Gurudev Gupta, M.P. (Rajya Sabha)

Representatives from Voluntary Organisations etc.

Members

9. Shri Raghuvir Shastri,
C/o Shri Som Pal,
A-2/285, Janak Puri,
New Delhi-110058.

10. To be nominated

11. Shri Sushil Chandra Varma,
President,
Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad,
New Delhi

12. Smt. Mridula Garg,
G-1/9, Safdarjung Development Area,
New Delhi-110016

13. Smt. Induja Avasthi,
Prof. and Head of the Hindi Department, Miranda House,
Delhi University, Delhi.

14. Shri Himanshu Joshi,
Journalist,
Hindustan Saptahik, New Delhi

Officials

Members

15. Secretary,
Ministry of Civil Supplies

16. Secretary,
Department of Official Language and Hindi Adviser to the Govt. of India

17. Joint Secretary,
(In-charge Hindi),
Ministry of Civil Supplies

18. Joint Secretary,
(In-charge Weights & Measures)
Ministry of Civil Supplies

19. Joint Secretary,
Department of Official Language

20. Director General,
Indian Standards Institution,
New Delhi

21. General Manager,
Super Bazar, New Delhi

22. Chief Director,
Directorate of Vanaspati,
Vegetable Oils & Fats,
New Delhi

23. Managing Director,
National Consumers Cooperative
Federation Ltd., New Delhi

24. Chairman,
Forward Markets Commission,
Bombay

II. *Functions of the Samiti*

The Samiti would render advice to the Ministry of Civil Supplies and its Attached and Subordinate Offices etc. on the matters relating to progressive use of Hindi for official purposes and allied issues falling within the framwork of the policy laid down by the Ministry of Home Affairs.

III. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) a member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament;

(b) ex-officio member of the Samiti shall continue as members as long as they hold office by virtue of which they are the members of the Samiti;

(c) if a vacancy arises on the Samiti due to resignation, death etc. of a member, the member appointed in that capacity shall hold office for the residual term of three years.

IV. *General*

(i) The Samiti may co-opt additional members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees as mey be considered necessary.

(ii) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other Allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti and the Sub-Committee of the Samiti at the rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments, Union Territory Administrations, Prime Minister's Secretariat, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, President's Secretariat, Comptroller & Auditor General of India, Accountant General Commerce, Works & Miscellaneous and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

A. R. BANDYOPADHYAYA, Jt. Secy.

DEPARTMENT OF SCIENCE & TECHNOLOGY

New Delhi-1, the 12th August 1981

No. 1/11/80-CTE.—It is notified for general information that for the purposes of the Societies Registration Act (XXI of 1860), the Governing Body of the Council of Scientific & Industrial Research has been reconstituted for a period of two years with effect from 10th August, 1981 and shall consist of the following :—

Chairman (Ex-officio)

1. Director-General,
Scientific & Industrial Research,
New Delhi-1

Member-Finance

2. Nominee of Ministry of Finance,
Govt. of India

Members

3. Prof. M.G.K. Menon,
Secretary to the Govt. of India
Department of Science & Technology,
Technology Bhavan,
New Mehrauli Road,
New Delhi-110029

4. Dr. A. S. Gangully,
Chairman,
Hindustan Lever Ltd.,
165-166, Backbay Reclamation,
Bombay-400 020

5. Prof. Rais Ahmad,
Professor of Physics,
Aligarh Muslim University,
Aligarh (U.P.)

6. Chairman of the following coordination Council :—

(a) (Chemical Sciences)
Dr. G. Thyagarajan,
Director,
Regional Research Laboratory,
Hyderabad — Member (upto 30-9-1982)

(b) (Physical & Earth Sciences)
Dr. Amarjit Singh,
Director,
Central Electronics,
Engineering Research Institute,
Pilani (Rajasthan) — Member (upto 14-5-1983)

(c) (Engineering Sciences)
Prof. V. A. Altekar,
Director,
National Metallurgical Laboratory,
Jamshedpur-831007.
(upto 31-7-1982)

(d) (Biological Sciences)
Dr. C. K. Atal,
Director,
Regional Research Laboratory,
Canal Road,
Jammu-Tawi. — Member (upto 17-1-1983)

G. S. SIDHU,
Secretary
for C.S.I.R. Affairs and
Director-General, Scientific and
Industrial Research, New Delhi.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 19th August 1981

RESOLUTION

No. 26012-2/81-Fy(T-1).—In partial modification of this Ministry's Resolution of even number dated the 24th July, 1978, it has been decided to include Ministers incharge of Fisheries of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh, Punjab, Jammu & Kashmir, Haryana, Rajasthan, Bihar, Tripura and Assam in place of item 3 "Ministers in charge of Fisheries of 3 Inland States by rotation."

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments, all Ministries and Departments of Government of India and to all members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

M. A. K. TAYAB, Jt. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND CULTURE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 7th August 1981

No. F.1-6/78-SP.I(D.I).—The term of the All India Council of Sports constituted by the Resolution No. F.1-6/78-SP.I (DI) dated the 9th June, 1978, expired on 20th July, 1981. Government have decided to extend the term of the existing All India Council of Sports with effect from 21-7-1981 for a period of three months or till the new Body is reconstituted whichever is earlier.

SHANKER LAL, Dy. Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 14th August 1981

No. E. 11015/1/80-Hindi.—In supersession of Ministry of Information & Broadcasting Resolution No. E. 11011/25/73-Admn.I/Hindi, dated 26th September, 1978, the Government of India have decided to reconstitute the Soochana Aur Prasaran Hindi Samiti of the Ministry of Information and Broadcasting.

2. The Samiti will consist of :—

Chairman

1. Minister of Information and Broadcasting
2. Deputy Minister of Information and Broadcasting

Vice-Chairman

Members of Parliament

Members

3. Shri Y. S. Mahajan (Lok Sabha)
4. Shri Dharam Dass Shastri (Lok Sabha)
5. Shri Narendra Singh (Rajya Sabha)
6. Shri R. C. Bharadwaj (Rajya Sabha)

Members of Committee of Parliament on Official Language

Members

7. Shri Krishna Chandra Pandey, Member, Lok Sabha
8. Dr. Lokesh Chandra, Member, Rajya Sabha

Non-officials

9. Dr. M. Malik Mohamed, Professor & Head of the Department of Hindi, University of Calicut
10. Shri Mohan Kumar Bhagat, Chief Editor, "Gaurav Garima" Nagpur
11. Shri Jagannath Mishra, Ex-Member of Parliament, Bihar
12. Dr. Ramjee Singh, Ex-Member of Parliament, Bhikhanpur, Post Bhagalpur.
13. Dr. R. S. Pandey, Ex-Member of Parliament, Bombay
14. Shri Vishnu Dutt Ramdular Mishra, Headmaster, Vidyawati Deviya High School, Nagpur
15. Shri Girija Kumar Mathur, Retired Dy. Director General, Doordarshan
16. Shri K. L. Nandan, Editor, 'Sarika', New Delhi
17. Shri Shankar Rao Londhe, Secretary, Rashtra Bhasha Prachar Samiti, Vardha
18. Prof. G. Sundara Reddi, Research Director and Emeritus Professor, Hindi Department Andhra University
19. Dr. N. S. Dakshinamurthy, Reader in Hindi, Department of P.G. Studies & Research in Hindi, University of Mysore
20. Shri Ram Prakash Gupta, Advocate, Delhi
21. Pandit Karunapati Tripathi, Ex-Vice-Chancellor, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi

    Dr. Nagendra, Retired Head of Department of Hindi, Delhi University
23. Shri Amrit Lal Nagar, Writer, Lucknow
24. Shrimati Manjul Bhagat, Writer, New Delhi

Officials

25. Secretary, Deptt. of Official Language and Hindi Advisor to the Govt. of India.
26. Secretary, Ministry of Information and Broadcasting.
27. Joint Secretary, Deptt. of Official Language.
28. Director General, All India Radio.
29. Director General, Doordarshan.
30. Director of News Services, A.I.R.
31. Principal Information Officer, P.I.B.
32. Chairman, Commission for Scientific and Technical Terminology.
33. Joint Secretary connected with Hindi work, Ministry of I&B.

3. *Functions* :

The function of hte Samiti will be to render advice in regard to progressive use of Hindi for official purposse in the Ministry of Information and Broadcasting and its Media Units in accordance with the policies laid down by the Kendriya Hindi Samiti and the Department of Official Language (Ministry of Home Affairs) on the subject.

4. *Tenure* :

The tenure of members of the Samiti will ordinarily be three years from the date of re-constitution of the Samiti, provided that :—

(i) Members of Parliament, who are members of the Samiti, shall cease to be members of the Samiti as soon as they cease to be Members of Parliament;

(ii) The ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold office by virtue of which they are members of the Samiti; and

(iii) If a vacancy arises on the Samiti due to resignation or death of a member, the member appointed to that vacancy shall hold office for the residual period of the tenure of three years.

5. *General* :

(i) The Samiti may appoint such committees, co-opt additional cabinet and also invite experts to attend its meetings as may be necessary for assisting it in the discharge of its functions.

(ii) The Headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may held its meetings at any other place also.

(iii) Non-official members of the Samiti will be paid travelling allowance and daily allowance for attending the meetings of the Samiti and its sub-committees at the rates prescribed by the Government of India from time to time and as admissible under rules.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all State Governments and Union Territory Administrations, all Ministries/Departments of the Government of India, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Deptt. of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Sectt., Planning Commission, Comptroller and Auditor General, Accountant General, Central Revenues and Controller General of Accounts.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

S. P. UPASANI, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1981